	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	माघ 09, सोमवार, *शाके* 1945-जनवरी 29, 2024 *Magha 09 Monday , Saka 1945- January 29 , 2024*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 05, 2024

संख्या प.4(20)कृषि/ग्रुप-2/2016 :- राज्य सरकार द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1961 की धारा 7 की उप धारा 1 के खण्ड ख एवं धारा 7 की उप धारा (2) के खण्ड (ब) के अन्तर्गत नवगठित कृषि उपज मण्डी समिति, गुलाबपुरा के प्रथम बोर्ड के गठन हेतु इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.4(18) कृषि/ग्रुप-2/2018 दिनांक 02.08.2022 के द्वारा निम्नाकिंत मनोनीत सदस्यों का मनोनयन राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1961 की धारा 7 की उप धारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है:-

कृषक वर्गः-

श्री भैरू लाल

श्री पाचुराम

श्री भागू लाल

श्री रामराज

श्री बालुराम

श्री बाबूलाल

व्यापारी वर्गः-

श्री भाग चन्द

सहकारी विपणन सोसाइटीः-

श्री नरोत्तम

स्थानीय निकाय:-

श्री महावीर प्रसाद

विधान सभा का सदस्यः-

श्री जब्बर सिंह सांखला

राज्य सरकार द्वारा नामितः-

श्री भैरू लाल

राज्यपाल की आज्ञा से,

कुन्तल विश्नोई,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।